

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मांग संख्या 43
मत्स्यपालन विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 1329.20 | 4.09 | 1333.29 | 2597.44 | 19.00 | 2616.44 | 1656.82 | 9.65 | 1666.47 | 2681.05 | 22.62 | 2703.67 |
| वसूलियां | -44.47 | ... | -44.47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 1284.73 | 4.09 | 1288.82 | 2597.44 | 19.00 | 2616.44 | 1656.82 | 9.65 | 1666.47 | 2681.05 | 22.62 | 2703.67 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 स्थापना व्यय | 27.78 | 0.53 | 28.31 | 64.92 | 1.80 | 66.72 | 36.10 | 1.90 | 38.00 | 37.88 | 2.05 | 39.93 |
| 1.02 अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 2.11 | ... | 2.11 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.20 | ... | 2.20 | 2.42 | ... | 2.42 |
| जोड़- सचिवालय | 29.89 | 0.53 | 30.42 | 67.12 | 1.80 | 68.92 | 38.30 | 1.90 | 40.20 | 40.30 | 2.05 | 42.35 |
| 2. मात्स्यिकी संस्थान | 106.74 | 3.56 | 110.30 | 125.82 | 17.20 | 143.02 | 80.62 | 4.15 | 84.77 | 125.45 | 16.57 | 142.02 |
| 3. वास्तविक वसूलियां (स्था.) | -0.01 | ... | -0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 136.62 | 4.09 | 140.71 | 192.94 | 19.00 | 211.94 | 118.92 | 6.05 | 124.97 | 165.75 | 18.62 | 184.37 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 4. मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) | 24.40 | ... | 24.40 | 30.00 | ... | 30.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 30.00 | ... | 30.00 |
| 5. वास्तविक वसूलियां (सीएस) | -2.18 | ... | -2.18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं | 22.22 | ... | 22.22 | 30.00 | ... | 30.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 30.00 | ... | 30.00 |
| केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| सांविधिक और विनियामक निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 6. तटीय जलकृषि प्राधिकरण | 5.20 | ... | 5.20 | 5.72 | ... | 5.72 | 5.00 | ... | 5.00 | 6.30 | ... | 6.30 |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 7. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड | 14.80 | ... | 14.80 | 16.78 | ... | 16.78 | 11.50 | ... | 11.50 | 18.00 | ... | 18.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय | 20.00 | ... | 20.00 | 22.50 | ... | 22.50 | 16.50 | ... | 16.50 | 24.30 | ... | 24.30 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | | संशोधित 2024-2025 | | | बजट 2025-2026 | | |
|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र प्रायोजित योजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| ब्लू रेवोल्यूशन | | | | | | | | | | | | |
| 8. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | 1148.17 | ... | 1148.17 | 2352.00 | ... | 2352.00 | 1496.40 | 3.60 | 1500.00 | 2461.00 | 4.00 | 2465.00 |
| 9. वास्तविक बसूलियां | -42.28 | ... | -42.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं | 1105.89 | ... | 1105.89 | 2352.00 | ... | 2352.00 | 1496.40 | 3.60 | 1500.00 | 2461.00 | 4.00 | 2465.00 |
| कुल जोड़ | 1284.73 | 4.09 | 1288.82 | 2597.44 | 19.00 | 2616.44 | 1656.82 | 9.65 | 1666.47 | 2681.05 | 22.62 | 2703.67 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. मत्स्य पालन | 272.75 | ... | 272.75 | 606.39 | ... | 606.39 | 517.22 | ... | 517.22 | 712.25 | ... | 712.25 |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 29.88 | ... | 29.88 | 67.12 | ... | 67.12 | 38.30 | ... | 38.30 | 40.30 | ... | 40.30 |
| 3. मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 3.56 | 3.56 | ... | 17.20 | 17.20 | ... | 7.75 | 7.75 | ... | 20.57 | 20.57 |
| 4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 0.53 | 0.53 | ... | 1.80 | 1.80 | ... | 1.90 | 1.90 | ... | 2.05 | 2.05 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 302.63 | 4.09 | 306.72 | 673.51 | 19.00 | 692.51 | 555.52 | 9.65 | 565.17 | 752.55 | 22.62 | 775.17 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 235.98 | ... | 235.98 | 172.00 | ... | 172.00 | 255.00 | ... | 255.00 |
| 6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 974.24 | ... | 974.24 | 1598.46 | ... | 1598.46 | 888.30 | ... | 888.30 | 1573.50 | ... | 1573.50 |
| 7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 7.86 | ... | 7.86 | 89.49 | ... | 89.49 | 41.00 | ... | 41.00 | 100.00 | ... | 100.00 |
| जोड़-अन्य | 982.10 | ... | 982.10 | 1923.93 | ... | 1923.93 | 1101.30 | ... | 1101.30 | 1928.50 | ... | 1928.50 |
| कुल जोड़ | 1284.73 | 4.09 | 1288.82 | 2597.44 | 19.00 | 2616.44 | 1656.82 | 9.65 | 1666.47 | 2681.05 | 22.62 | 2703.67 |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों को योगदान तथा उपग्रह के पट्टे किराये के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान के लिए है।

2. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थानों के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट ग्रावैट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, सेंटरल इंस्टीट्यूट फॉर फिसर मैन नोटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

4. **मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ):** यह प्रावधान देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के लिए रखा जाता है। कैबिनेट नोट के अनुसार, इस योजना को 2024-25 में केंद्र प्रायोजित योजना से केंद्रीय क्षेत्र की योजना में पुनः वर्गीकृत किया गया है। चूंकि खाता शीर्ष पिछले वर्ष से अपरिवर्तित है, इसलिए सीएस के अंतर्गत 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।

6. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है।

8. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** इस योजना का उद्देश्य मछुआरों के कल्याण सहित भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।